निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65/2022
दायरा दिनांकः—28.06.202
निर्णय दिनांकः—28.7.25

उनवान

1. दाखाबाई आयु 57 वर्ष पत्नि भंवरलाल जाति चमार निवासी ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
2. मुन्नी बाई आयु 55 वर्ष पत्नि रामदयाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
3. गुड्डी बाई आयु 47 वर्ष पत्नि पूरणलाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
4. रेखा बाई आयु 42 वर्ष पत्नि बंशीलाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

2. सुक्खा आयु 87 वर्ष पुत्र पांच्या जाति चमार निवासी ग्राम फेजपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—28.7.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री बृजराजसिंह — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92ए,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पीपलु सरहद पटवार हल्का तेलनी तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 187/3 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। इस भूमि को इस वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि सुक्खा पुत्र पांच्या जाति चमार निवासी ग्राम फेजपुरा तहसील छबड़ा प्रतिवादी कम 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी। इस भूमि को प्रतिवादी कम 2 ने दिनांक 23 जून 2005 को एक लाख छह हजार रुपए में वादिनीगण को बेचान करके भूमि पर कब्जा संभला दिया था। जिसका विकय पत्र दिनांक 23.06.2005 को निष्पादित कर उसका पंजीयपन कराया गया था। वादिनीगण अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं हैं. अज्ञानतावश वे इस भूमि का इंतकाल स्वयं के नाम तस्दीक कराने की कार्यवाही नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गई। माह जून 2022 में वे इस भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक में गई तो उन्होंने खाते की नकलें लाने को कहा, दिनांक १०.७२२ को वादिनीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये भूमि तो अभी उनके नाम खाते में दर्ज नहीं हुई है। पूर्व खातेदार प्रतिवादी कम 2 के नाम ही खाते में चली आ रही है। वादिनीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र यह भूमि कय की है, जिस पर विकय की दिनांक 23 जून 2005 से ही निरंतर वादिनीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिनीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार कृ षक हो गई है, वे इस भूमि की स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराकर अपने नाम खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है। वादिनीगण रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 23.06.2005 को लेकर दिनांक 21.06.2022 को पटवारी हल्का तथा तहसीलदार महोदय छबड़ा के पास गई तथा उनसे यह भूमि वादिनीगण के नाम खाते में दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि यह विक्रय पत्र काफी पुराना है, तुम इसके संबंध में न्यायालय में दावा करके आदेश लाओ, तभी हम तुम्हारे नाम यह भूमि खाते दर्ज करेंगे। कि प्रतिवादी कम 2 इस भूमि पर अपना नाम होने का नाजायज लाभउठाने को तत्पर है। उसने गलत तथ्य बताकर इस पर ऋण भी प्राप्त कर लिया है तथा वह अब इसे दोबारा अन्यत्र हस्तांतरित करने तथा भूमि पर कब्जा कररने पर उतारू है। इस आशय की धमकी उसने दिनांक 21.6.2022 को दी। यदि प्रतिवादी कम 2 ने वादग्रस्त भूमि को दुबारा कहीं हस्तांतरित कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादिनीगण का काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति सर्वथा असंभव है। एक आवश्यक प्रकृति का मामला है। जिसे राजस्थान सरकार को धारा 80 सी०पी०सी० का पूर्व नोटिस दिए बिना प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु धारा 80 (2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 21.6.2022 को वादिनीगण द्वारा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार महोदय छबड़ा से वादग्रस्त भूमि वादिनीगण के नाम खाते दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा इंकार कर देने तथा न्यायालय में दावा करने की कहने पर उत्पन्न हुआ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2005 प्रर्दश 1 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलुसरहद सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 66 प्रर्दश 2 पेश की गई। साक्ष्य वादी में दाखा बाई के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलुसरहद तहसील छबडा में स्थित है। विवादित भूमि सुक्खा पुत्र पांच्या जाति चमार निवासी फेजपुरा तहसील छबडा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि की प्रति वादी क्रम 2 सुक्खा ने दिनांक 23.06.2005 को एक लाख रूपये में वादीनीगण को बेचान कर भूमि पर कब्जा संभला दिया था। वादनीगण अनपढ ग्रामीण महिला होने के कारण अज्ञानतावश भूमि का नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नही खुलवाया/जिससे विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 2

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ही खातेदारी में चली आ रही है विवादित आराजी पर वादनीगण का क्रय करने के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है वादनीगण विवादित आराजी को विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है प्रतिवादी क्रम 2 वर्तमान में खातेदारी का लाभ उठाकर भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करने पर आमादा है वादनी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादनीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वादनीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादनीगण द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2005 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 सुक्खा पुत्र पांच्या जाति चमार निवासी फेजपुरा तहसील छबडा द्वारा ग्राम पीपलु सरहद तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 187/3 रकबा 4.17 बीघा एक लाख छः हजार रूपये में वादनी को बेचान किया गया। जिस पर वादनीगण का कब्जा चला आ रहा है नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलु सरहद सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 66 में सुक्खा पुत्र पाच्या जाति चमार निवासी फेजपुरा का नाम दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 2 सुक्खा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादनीगण को बेचान कर कब्जा दे दिया गया प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है। अर्थात् वादी द्वारा किये गये कथनों का खण्डन प्रतिवादी द्वारा नही किया गया है। वादनीगण विवादित आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है। अतः वादिनीगण का वाद मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिनीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलु सरहद तहसील छबडा के खसरा नम्बर 187/3 रकबा 4.17 बीघा पर वादिनीगण को खातेदार कुषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 65/2022	धारा 88,89,91,92ए,188 ,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 28.07.2025

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री बृजराज सिंह राजावत	अभिभाषक प्रतिवादीः— श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. दाखाबाई आयु 57 वर्ष पत्नि भंवरलालं जाति चमार निवासी ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
2. मुन्नी बाई आयु 55 वर्ष पत्नि रामदयाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
3. गुड्डी बाई आयु 47 वर्ष पत्नि पूरणलाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0
4. रेखा बाई आयु 42 वर्ष पत्नि बंशीलाल जाति चमार निवासी ग्राम ग्राम बन्दरवा तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
2. सुक्खा आयु 87 वर्ष पुत्र पांच्या जाति चमार निवासी ग्राम फेजपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिनीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलु सरहद तहसील छबडा के खसरा नम्बर 187/3 रकबा 4.17 बीघा पर वादिनीगण को खातेदार कुषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.07.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		